चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पत्रांक : -लेखा/5433
दिनांक : -4-1-2020

छात्र कल्याण अधिष्ठाता

महोदय,

लेखा विभाग पत्रांक लेखा/3850–"बी" दिनांक 14.10.2019 द्वारा आपको वित्त समिति की दिनांक 29.08.2019 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22.09.2019 को सभा पटल पर चर्चा के दौरान प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में संस्तुति का अनुपालन उपलब्ध कराया गया था जो निम्नानुसार था :

प्रस्ताव 1 विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों से नैट उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति :– **वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों से नैट उत्तीर्ण निम्न आय वर्ग के सभी श्रेणी के छात्रों को जो विश्वविद्यालय से पी0एच0डी0 करना चाहते है। ऐसे छात्रों को रू0 3000/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुये मुख्य खाते में इस हेतु नये मद का प्रावधान करते हुये रू0 50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई। निम्न आय सीमा का निर्धारण कार्यपरिषद द्वारा किया जायेगा। तदनुसार मुख्य लेखा के बजट समूह ड (1) को संशोधित कर नैट उत्तीर्ण पी0एच0डी0 छात्रवृत्ति (विश्वविद्यालय परिसर एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय) कर दिया गया।**

कार्यपरिषद द्वारा वित्त समिति के निर्णय की पुष्टि करते हुये विश्वविद्यालय परिसर एवं संम्बद्ध महाविद्यालयों से नैट उत्तीर्ण छात्रों जो पी0एच0डी0 हेतु विश्वविद्यालय से पंजीकृत है ऐसे सभी श्रेणी के छात्रों की निम्न आय वर्ग की अधिकतम सीमा रू0 5 लाख निर्धारित की गई।

कृपया उपरोक्त संस्तुति अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

इस संबंध में स्पष्ट करना है कि ऐसे छात्रों से प्राप्त प्रत्यावेदन (पुर्ण संलग्नको सहित) संबंधित विभागाध्यक्ष /प्राचार्य से संस्तुति होकर एवं आपके विभाग द्वारा जॉच उपरान्त पूर्व परम्परा अनुसार संबंधित फार्म पर अंकित कर लेखा विभाग को संस्तुति के उपरान्त भेजे जायेगें। इसके उपरान्त कार्यवाही लेखा विभाग द्वारा की जायेगी।

वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि : 1 सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2 व्यैक्तिक सहायक प्रति कुलपति को प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
3 व्यैक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ प्रेषित।
4 समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5 प्रभारी बैवसाइट को विश्वविद्यालय की बैवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वित्त अधिकारी